र व तारीख अहक
स हुक्म की ...
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं.-44/2018

अनवानः—
मुस्ताक मोहम्मद पुत्र अहमदीन जाति मुसलमान सा. वार्ड नं. 5 नाईवाला तह0 टिब्बी।

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.9.18 बअदालत उपतहसीलदार टिब्बी।

उपस्थितः— 1 श्री अनिल शर्मा अभिभाषक अपीलांटस।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक ।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

—ःनिर्णयः—

दिनांकः —21.01.2019

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवार मण्डल नाईवाला द्वारा दिनांक 6.8.18 की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि चक 9 सीडीआर प0नं0 225/255 कि0नं0 6/.038 है0 भूमि गै.मु. रास्ता पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है व आरा मशीन लगा कर मौका पर कब्जा कर रखा है। इस पर अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर तलब किया गया । दिनांक 6.9.18 को अपीलांट ने उपस्थित आकर मय प्रा0पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण को दस्तावेजी साक्ष्य एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी को अवसर प्रदान किया जावे। अवसर प्रदान नहीं करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी माना व उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये व तावान कायम किया गया व आरा मशीन को कुर्क करने के आदेश फरमाये गये। प्रश्नगत रकबा में अपीलांट अतिक्रमी नहीं है जबकि प्रश्नगत रकबा को बिना पैमाईश के अतिक्रमी माना जाकर विधि विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। प्रश्नगत रास्ता पर कभी भी रास्ता की भूमि नहीं रही है ना ही मौका पर उक्त भूमि में रास्ता चालू रहा है उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 आबादी दर्ज है जो कि वर्तमान में प्रश्नगत रकबा में चक 9 सीडीआर में आबादी क्षेत्र में है किन्तु अपीलांट ने अपनी सीमा में आरा की मशीन लगा रखी है जिसका उपयोग उपभोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है किन्तु इन तथ्यों की अनदेखी कर रेस्पो0 ने अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। प्रश्नगत रकबा में आरा मशीन लगा रखी है। जिसका विद्युत कनैक्शन अपीलांट के पास है , उक्त आरा मशीन की संबंधित विभाग से अनुमति ले रखी है। इसके अलावा अपीलांट के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया। अपीलांट के कब्जा काश्त के संबंधमें विस्तृत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गयी है व पूर्व के रिकार्ड की जांच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो काबिल खारिजी के है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी व अपीलाधीन रिकार्ड तलब किया जाकर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रकबा आबादी क्षेत्र है या नहीं के बाबत बिना पैमाईश किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है। इसलिए प्रकरण में पैमाईश करवाकर आगामी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत रकबा राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है। जो राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है। गै.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा कर आरा मशीन लगाना विधि विरूद्ध है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील पत्रावली के सलंग्न पत्रादि का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 6.8.18 के अनुसार चक 9 सीडीआर में गै0मु0 रास्ता की भूमि प0नं0 225/255 कि0नं.0 6 क 0.038 है0 गै0मु0 रास्ता की भूमि से अपीलांट ने 0.011 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर आरा की मशीन लगा रखी है। यह आरा मशीन काफी पुरानी लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट ने दिनांक 6.9.18 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर परिस्थिति जन्य साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जाकर पत्रावली में तारीख पेशी 10.9.18 नियत की गयी। नियत दिनांक 10.9.18 को अपीलांट अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया व ना ही नियत दिनांक को वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर आरा मशीन लगा रखी है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी का निर्णय दिनांक 10.9.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official